



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या: 12468-गोपन-06/पाकालि/2022-5-सा०गो०/2020

दिनांक:

07 NOV 2022

प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को

विद्युत वितरण निगम लि०,

लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी निगमों में अभियन्ता/गैर-अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं को ई०आर०पी० पर ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों/निगमों की आधारभूत संरचना समुचित रूप से विकसित हो जाने किन्तु इनकी मेरुदंडीय वित्तीय व्यवस्था को सबल एवं सुदृढ़ बनाये जाने की अनिवार्यता के दृष्टिगत, राजस्व वसूली को प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 01.11.2022 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी विद्युत वितरण निगमों में तैनात अभियन्ता अधिकारियों/गैर-अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं को ई०आर०पी० सिस्टम पर ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु निम्नवत निर्देश जारी किये जाने का निदेश हुआ है कि :-

- (1) वर्तमान में अभियन्ता/गैर-अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं की Manually अंकन हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-824-काविनी/राविप-29/96-8का.वि.नी./93 दिनांक 18.04.1996 के प्रस्तर 3(क) में समयसीमा नियमानुसार निर्धारित है:-

मूल्यांकन अधिकारी	प्रतिवेदी (स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने हेतु)	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम प्राधिकारी
समयसीमा (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में)	30 अप्रैल	15 मई	15 जून	15 जुलाई

(2)

वर्तमान निर्धारित व्यवस्था/आदेश संख्या	ई0आर0पी0 सिस्टम में प्रदत्त व्यवस्था
आदेश संख्या-824-काविनी/राविप-29/96-8का.वि.नी./93 दिनांक 18.04.1996 के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में प्रतिवेदी (Appraiser) वार्षिक गोपनीय आख्या के साथ संलग्न श्वेत-पत्र में अपनी Hierarchy chain (Reporting Officer/ Review Officer- Co-Review Officer/ Final Officer) स्वतः अंकित करता है	ई0आर0पी0 द्वारा तैयार ए0सी0आर माड्यूल Online किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न बैठकों में Hierarchy chain को सिस्टम द्वारा Auto-Capture किये जाने का निर्णय लिया गया है।
आदेश संख्या-972-गोपन/राविप/06अ/97-9-सा0गो0/78 दिनांक 30.04.1997 के अनुसार एक वर्ष में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी है, तो प्रतिवेदी द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) की अवधि की अलग-अलग वार्षिक गोपनीय आख्या प्रपत्र भरे जाने का प्राविधान है।	Hierarchy chain (Reporting Officer/ Review Officer- Co-Review Officer/ Final Officer) में किसी भी अधिकारी के सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित/दिवंगत होने जैसे किसी भी स्थिति में वार्षिक गोपनीय आख्या स्वांकन प्रपत्र Online अलग-अलग भरना होगा।
कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1904-गोपन(06)/पाकालि/18-13-सा0गो0/11 दिनांक 23.07.2018 के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी (अन्तिम अधिकारी) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण निगमों में कार्यरत हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के पश्चात् भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में कार्यरत हैं, तो वह अपने पद से स्थानान्तरित होने के उपरान्त भी वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अपना मूल्यांकन/अभिमत अंकित कर सकेंगे, प्राविधानित है।	इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के कारपोरेशन एवं निगम की सेवाओं से पदभारमुक्त होने के उपरान्त अन्यत्र तैनाती की स्थिति में ACR Admin (कारपोरेशन मुख्यालय) द्वारा अपूर्ण वार्षिक गोपनीय आख्या, जिसमें Hierarchy chain में उन अधिकारियों से पूर्व के अधिकारियों का मूल्यांकन होगा, ऐसी दशा में अपूर्ण वार्षिक गोपनीय आख्याओं की Hard Copy निकाल कर सम्बन्धित अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा उनके नवतैनाती स्थल पर पूर्व की भाँति प्रेषित की जायेगी। तदोपरान्त मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् कारपोरेशन मुख्यालय में प्राप्त होने पर वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रदत्त मूल्यांकन को ACR Admin द्वारा अपनी आई0डी0 से ई0आर0पी0 सिस्टम में फीड किया जायेगा एवं प्रदत्त मूल्यांकन पृष्ठ की प्रति को स्कैन कर ई0आर0पी0 सिस्टम में अपलोड किया जायेगा।
प्रतिवेदक/समीक्षक/अन्तिम अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने के उपरान्त एक माह की अवधि में अपना अभिमत/मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय आख्याओं में अंकित कर सकेंगे, भी निहित है।	यह व्यवस्था ई0आर0पी0 सिस्टम में भी यथावत लागू रहेगी।

- (3) वर्तमान में लागू अभियन्ता/गैर-अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं की Hierarchy chain (Reporting Officer/ Review Officer- Co-Review Officer/ Final Officer) कारपोरेशन में लागू निम्न आदेशों के अनुसार निर्धारित हैं:-

कार्यालय ज्ञाप संख्या-5111-गोपन(06)/पाकालि/2017-06-सा0गो0/2001
दिनांक 29.08.2017

क्र0सं0	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	निदेशक(जिसके अधीन तैनाती हो)	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
2.	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) वितरण क्षेत्र	निदेशक(वाणिज्य), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
3.	अधीक्षण अभियन्ता (स्वतंत्र रूप से मण्डल कार्यालय में कार्यरत)	मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र	निदेशक(वाणिज्य), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध पदों पर कार्यरत)	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) सम्बद्ध निगम मुख्यालय (जैसी भी स्थिति हो)	निदेशक (जिसके अधीन तैनाती हो)	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
5.	अधिशाली अभियन्ता (स्वतंत्र रूप से वितरण खण्डों में कार्यरत)	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण मण्डल	मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र	निदेशक (वाणिज्य), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
6.	अधिशाली अभियन्ता एवं समकक्ष (सम्बद्ध पदों पर कार्यरत)	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) सम्बद्ध (जैसी भी स्थिति हो)	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) सम्बद्ध निगम मुख्यालय (जैसी भी स्थिति हो)	निदेशक (जिसके अधीन तैनाती हो)	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
7.	सहायक अभियन्ता (स्वतंत्र रूप से वितरण उपखण्डों/क्षेत्रों में कार्यरत)	अधिशाली अभियन्ता, वितरण खण्ड	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण मण्डल		मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र

8.	सहायक अभियन्ता (निगम मुख्यालय में सम्बद्ध पद में कार्यरत)	अधिशाली अभियन्ता (सम्बद्ध)/अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध) जैसी भी स्थिति हो	अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) सम्बद्ध निगम मुख्यालय (जैसी भी स्थिति हो)	_____	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) जैसी भी स्थिति हो
----	--	--	---	-------	--

इक्वेटर एवं सामग्री प्रबन्धन स्कन्ध

1.	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	_____	अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
2.	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	_____	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	_____	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत कार्यशाला एवं निर्माण स्कन्ध

1.	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	_____	अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
2.	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	_____	मुख्य अभियन्ता (वितरण)

विद्युत भण्डार स्कन्ध					
1.	अधीक्षण अभियन्ता	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० अथवा जिस पद में अध्यक्ष पद की शक्तियाँ समाहित हों।
2.	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3.	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता		मुख्य अभियन्ता, वितरण क्षेत्र

आदेश संख्या-6243-गोपन(06)/पाकालि/2016-24-सा०गो०/2004

दिनांक 21.10.2016

(अ) वितरण निगम मुख्यालय कार्यालय :-

निदेशक (वित्त) तैनात है तथा मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) अथवा महाप्रबन्धक (लेखा) तैनात हैं :-

क्र०सं०	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०
2.	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०

(ब) वितरण निगम मुख्यालय कार्यालय :-

निदेशक (वित्त) तैनात नहीं है मात्र मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) तथा महाप्रबन्धक (लेखा) तैनात हैं :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०
2.	महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	प्रबन्ध निदेशक		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०

(स) वितरण निगम मुख्यालय कार्यालय :-

निदेशक (वित्त) तैनात नहीं है मात्र महाप्रबन्धक (लेखा) तैनात हैं :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	महाप्रबन्धक (लेखा)	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक		अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०

(द) वितरण निगम मुख्यालय कार्यालय :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा) अथवा मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) जो तैनात हों	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक (वितरण निगम)	अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०
2.	उप मुख्य लेखाधिकारी (यदि वितरण निगम मुख्यालय पर तैनात है)	उप महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	प्रतिवेदक अधिकारी से एक उच्च पद धारी अथवा उपलब्ध महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त) यदि तैनात है अन्यथा महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) जो तैनात हैं	प्रबन्ध निदेशक (वितरण निगम)
3.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय पर यदि तैनात हों)	सम्बन्धित उप महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा) अथवा मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) जो तैनात हों यदि दोनों महाप्रबन्धक (लेखा) अथवा मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) तैनात नहीं हैं तो निदेशक (वित्त) समीक्षक अधिकारी होंगे	निदेशक (वित्त) यदि तैनात है अन्यथा महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) जो तैनात हैं	प्रबन्ध निदेशक (वितरण निगम)
4.	लेखाधिकारी	मुख्यालय के सम्बन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखाधिकारी अथवा मुख्यालय के महाप्रबन्धक (लेखा)	उप महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) जो उपलब्ध हों		महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) / निदेशक (वित्त) जो उपलब्ध हों
5.	सहायक लेखाधिकारी	सम्बन्धित लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखाधिकारी	उप महाप्रबन्धक (लेखा)		महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) / निदेशक (वित्त) जो उपलब्ध हों

(य) वितरण निगम मुख्यालय कार्यालय के नियंत्रणाधीन परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के अधिकारी :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	उप मुख्य लेखाधिकारी	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)	निदेशक (वित्त), यदि निदेशक (वित्त) तैनात नहीं हैं तो लेखा शाखा के शीर्ष पद धारी महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	-----	प्रबन्ध निदेशक
2.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि०ले०का० में तैनात हैं तो)	उप मुख्य लेखाधिकारी / मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)	निदेशक (वित्त), यदि निदेशक (वित्त) तैनात नहीं हैं तो वितरण कम्पनियों के महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	-----	प्रबन्ध निदेशक
3.	लेखाधिकारी	उप मुख्य लेखाधिकारी	उप महाप्रबन्धक (लेखा) / महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	-----	महाप्रबन्धक (लेखा) / मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) / निदेशक (वित्त) जो उपलब्ध हों
4.	सहायक लेखाधिकारी	परि०ले०का० के लेखाधिकारी,	उप मुख्य लेखाधिकारी	-----	मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)

(र) मण्डल कार्यालय में तैनात अधिकारी :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	लेखाधिकारी	अधीक्षण अभियन्ता	उप मुख्य लेखाधिकारी (परि०ले०का०)	-----	मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)
2.	सहायक लेखाधिकारी	अधीक्षण अभियन्ता	उप मुख्य लेखाधिकारी (परि०ले०का०)	-----	मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)

(ल) खण्डीय कार्यालय में तैनात अधिकारी (सहायक लेखाधिकारी) :-

क्र०सं०	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	सहायक लेखाधिकारी	अधिशासी अभियन्ता (सम्बन्धित खण्ड)	उप मुख्य लेखाधिकारी (सम्बन्धित परि०ले०का०)	-----	मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 14300-गोपन(06)/पाकालि/2001-06-सा0गो0-2001,

दिनांक: 01.01.2002

(केवल मुख्यालय संवर्ग के अधिकारी)

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	जन सम्पर्क अधि0 / विज्ञापन अधि0 / क्रीड़ा अधिकारी / सहायक विधि अधिकारी (श्रेणी-1)	अनु सचिव / उप सचिव / वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी / उप विधि अधिकारी (यथा प्रयोज्य)	उप महाप्रबन्धक / विधि अधिकारी (यथा प्रयोज्य)	महाप्रबन्धक तथा / अथवा सी0एम0डी0 के विशेष सहायक (यथा प्रयोज्य)
2.	अनुभाग अधिकारी एवं समकक्ष	अनु / उप सचिव / उप विधि अधि0 / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (यथा प्रयोज्य)	उप महाप्रबन्धक / विधि अधिकारी (यथा प्रयोज्य)	महाप्रबन्धक / विधि अधिकारी (यथा प्रयोज्य)
3.	अनु सचिव / उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
6.	निजी सचिव (समस्त श्रेणी)	सम्बन्धित अधिकारी जिनके अधीनस्थ शीघे कार्य कर रहे हैं।	सम्बन्धित अधि0 जिनके अधीनस्थ शीघे कार्य कर रहे हैं।	सम्बन्धित अधि0 जिनके अधीनस्थ शीघे कार्य कर रहे हैं।

आदेश सं0: 1081-गोपन(06)/पाकालि/2018-06-सा0गो0-2001,

दिनांक: 25.04.2018

क्र0सं0	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक / सह समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
6.	संयुक्त सचिव एवं समकक्ष अधिकारी	अपर सचिव एवं समकक्ष अधिकारी	निदेशक / प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
7.	अपर सचिव समकक्ष अधिकारी	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष

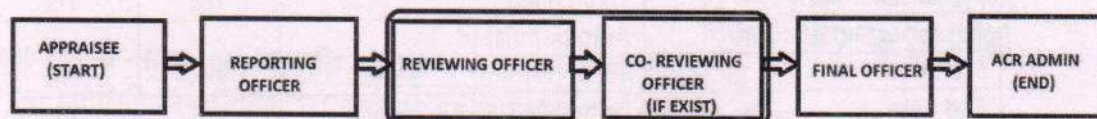
कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6375-गोपन(06)/पाकालि/2007-14-सा0गो0-1996,

दिनांक: 12.11.2007

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी
1.	विधि अधिकारी	निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष

सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा किसी भी परिवर्तन की स्थिति में Reporting Hierarchy नियमित रूप से Update किये जाने पर उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त पदों पर ई0आर0पी0 प्रणाली के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय आख्यायें ऑनलाइन होने के पश्चात Programming Logic के अनुसार स्वतः Hierarchy chain (Reporting Officer/ Review Officer- Co-Review Officer/ Final Officer) बना लेगा। जिसके उपरान्त प्रतिवेदी द्वारा Submit की गयी ए0सी0आर0 सिस्टम में तैयार Hierarchy chain के अनुसार अग्रसारित हो जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया निम्न स्वरूप में होगी :-



- (4) अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), अधिशासी अभियन्ता(कार्यशाला), अधिशासी अभियन्ता (माध्यमिक कार्य), अधीक्षण अभियन्ता (माध्यमिक कार्य) एवं समकक्ष पदों पर, जिसमें समीक्षक/सहसमीक्षक निदेशक(तकनीकी) अधिकृत है, निम्नानुसार होगी:-

(तालिका-क)

क्रम सं०	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	सहसमीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी	कारपोरेशन आदेशानुसार
(1)	अधिशासी अभियन्ता (भण्डार)	अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5111-गोपन(06)/पाकालि/2017-06-सा०गो०/2001 दिनांक 29.08.2017
(2)	अधिशासी अभियन्ता (कार्यशाला)	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यशाला)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5111-गोपन(06)/पाकालि/2017-06-सा०गो०/2001 दिनांक 29.08.2017
(3)	अधिशासी अभियन्ता (माध्यमिक कार्य)	अधीक्षण अभियन्ता (माध्यमिक कार्य)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक (तकनीकी), सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5111-गोपन(06)/पाकालि/2017-06-सा०गो०/2001 दिनांक 29.08.2017
(4)	अधीक्षण अभियन्ता (माध्यमिक कार्य)	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	निदेशक(तकनीकी)	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि०	अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०	कार्यालय ज्ञाप संख्या-550-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017-2-प्र०सु०/2003 टी०सी०-VI(A) दिनांक 28.07.2017 में निहित व्यवस्थानुसार प्रतिवेदक अधिकारी निर्धारित हैं।

उक्त तालिका-क के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (भण्डार), अधिशासी अभियन्ता(कार्यशाला), अधिशासी अभियन्ता (माध्यमिक कार्य), अधीक्षण अभियन्ता (माध्यमिक कार्य) के पदों पर, ई0आर0पी0 सिस्टम में ए0सी0आर0 Movement हेतु एक पृथक तालिका (Table) तैयार करना होगा जिसका डाटा मुख्यालय/डिस्कॉम/जोन स्तर पर स्थानान्तरण, आदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर Manually / Update फीड किया जाना आवश्यक होगा।

ई0आर0पी0 सिस्टम के अन्तर्गत इस तालिका में निम्न सूचनायें प्रविष्ट की जायेंगी:-
(तालिका-ख)

Field	Data Population	Editable	Mandatory
Appraisee ID	To be filled	Yes	Yes
Appraisee Name	Auto populated		
Appraisee Role	To be filled	Yes	Yes
Appraiser Designation	Auto populated		
Start date	To be filled	Yes	Yes
End date	To be filled	Yes	Yes
PA	Auto populated		
PSA	Auto populated		
Appraiser ID	To be filled	Yes	Yes
Appraiser Name	Auto populated		
Appraiser Designation	Auto populated		
Reviewer 1 ID	To be filled	Yes	Yes
Reviewer 1 Name	Auto populated		
Reviewer 1 Designation	Auto populated		
Reviewer 2 ID	To be filled	Yes	Yes
Reviewer 2 Name	Auto populated		
Reviewer 2 Designation	Auto populated		
Final Authority ID	To be filled	Yes	Yes
Final Authority Designation	Auto populated		
Final Authority Name	Auto populated		

तालिका को निम्न परिस्थितियों में डिस्कॉम/जोन स्तर पर सतत रूप से Manually Update करते रहना होगा :-

- प्रतिवेदी के स्थानान्तरण पर, एवं,
- Hierarchy chain (Reporting Officer/ Review Officer- Co-Review Officer/ Final Officer) में किसी भी अधिकारी के सेवानिवृत्त/स्थानान्तरित/दिवंगत होने की स्थिति में।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि वर्तमान में Reporting Hierarchy निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:-

डिस्कॉम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों हेतु	→	डिस्कॉम मुख्यालय अधिष्ठान स्तर पर
जोन स्तर पर कार्यरत अधिकारियों हेतु	→	जोन स्तर पर
कारपोरेशन मुख्यालय एवं लखनऊ स्थित उसकी पदधारिता में आने वाले अधिकारियों हेतु	→	कारपोरेशन मुख्यालय में स्थित सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा

उपरोक्त तालिका-ख में किसी भी परिवर्तन को अपडेट न करने की स्थिति में वार्षिक गोपनीय आख्या, अगले चरण में अग्रसारित होने पर System Error उत्पन्न होगी, जिस हेतु तालिका-ख में डाटा नियमित रूप से सम्बन्धित अधिष्ठानों द्वारा Update करने के उपरान्त ही किसी भी स्तर पर अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का Movement ERP System पर सुगमता से हो सकेगा।

कृपया उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ए0सी0आर0 “Go-Live” होने से पूर्व अथवा उसके उपरान्त, सम्बन्धित पृच्छाओं (query) हेतु ई-मेल आई0डी0 gopan06uppcl@gmail.com तथा दूरभाष संख्या-05222218518, मो0नं0-9453005831, 9454469024 पर सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मुजरा वरुण
(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या: 12468-गोपन-06/पाकालि/2022-5-सा0गो0/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (2) निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (3) निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (4) निजी सचिव (सम्बद्ध) समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (5) अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (6) महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (7) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजिनी नगर, लखनऊ।
- (8) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 प्रांगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- (10) समस्त महाप्रबन्धक (लेखाप्रशासन)/उपमहाप्रबन्धक(लेखा-प्रशासन) उ0प्र पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- (11) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (12) संयुक्त सचिव (अ0प्र0-01/02)/संयुक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- (13) कार्यदायी संस्था M/s Accenture को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल ERP पर ACR Module को “Go-Live” किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (14) अधिशासी अभियन्ता(वेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से कि संगत दिशा निर्देशों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(रवि कुमार)
उपसचिव(गोपन)